



## Haryana Industrial Training Directorate,

Headquarters: Chandigarh

आदेश

निम्नलिखित अनुदेशकों की ड्यूटी प्रशिक्षण हित में मास में 10 दिन के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजौंद (कैथल) व टोहाना और सिरसा में आगामी आदेशों तक लगाई जाती है:-

क्र०	कर्मचारी का नाम व पद संज्ञा	जिस संस्थान में कार्यरत है।	जिस संस्थान में ड्यूटी लगाई जाती है।	विशेष कथन
1	श्री सत्वान पेन्टर जनरल अनुदेशक	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैथल	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजौंद (कैथल)	कर्मचारी की मास में 10 दिन की अस्थायी ड्यूटी पेन्टर जनरल व्यवसाय के छात्र / छात्राओं को प्रशिक्षण देने हेतु लगाई जाती है।
2	श्री सुशील कुमार, पेन्टर जनरल, अनुदेशक	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भौड़िया खेडा	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोहाना	कर्मचारी की मास में 10 दिन की अस्थायी ड्यूटी पेन्टर जनरल, व्यवसाय के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण देने हेतु लगाई जाती है।
3	श्री राजकुमार, पेन्टर जनरल अनुदेशक	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाथुसरी चौपटा	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिरसा	कर्मचारी की मास में 10 दिन की अस्थायी ड्यूटी पेन्टर जनरल, व्यवसाय के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण देने हेतु लगाई जाती है।

आदेशों की पालना की जाये।

दिनांक: 9.2.2017

अश्वनी मैगी

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,

हरियाणा।

पृष्ठा 0 टीई/मास में 10 दिनकी ड्यूटी/स्था-III/3145 दिनांक-16/2/17

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैथल, भौड़िया खेडा व नाथुसरी चौपटा को निर्देश दिए जाते हैं कि कर्मचारी को अपने स्तर पर सम्बन्धित संस्थान में प्रशिक्षण देने हेतु भारमुक्त करें।
2. नोडल अधिकारी, वेबसाइट पर आपलोड करने बारे।

88/15/2/17

सहायक निदेशक (स्थापना-III)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।